50 C

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अनुभाग–6

कमाक एफ. 13(5)ग्रावि/अनु0–6/2005 जयपुर,,दिनांक 3-8-05

परिपत्र

" मगरा क्षेत्रीय विकास योजना "– दिशा निर्देश

1.0 प्रस्तावना

1.1 राजस्थान राज्य के दक्षिण –मध्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाडियों से घिरा हुआ हैं तथा जहां अन्य पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक लोगों का अधिवास हैं को मगरा क्षेत्र कहा जाता हैं । मगरा क्षेत्र के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में अरावली संस्था द्वारा करायें गये सर्वे के अनुसार मगरा क्षेत्र मे राज्य के अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ ,राजसमंद, एवं पाली की कुल 14 पंचायत समितियों को इस क्षेत्र में फिलहाल सम्मिलित किया गया है । जिले एवं पंचायत समिति तथा इनमें सम्मिलित ग्रामों की संख्या से संबंधित विवरण परि0–1 पर उपलब्ध हैं ।

1.2 मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2005–06 के बजट मे मगरा क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गयी हैं । इस घोषणा के अनुसरण में राज्य में मगरा क्षेत्र विकास योजना लागू की गयी हैं ।

2.0 योजना का उद्देश्य

2.1 क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना ।

2.2 सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन ।

2.3 स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार ।

2.4 स्थानीय एवं अन्य लोगो की जन–भागीदारी सुनिश्चित करना ।

2.5 स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनके लिए जीवकोपार्जन की परियोजना लागू करना ।

3.0 योजना की विशेषताएँ:

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना हैं

3.2 यह मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू हो सकेगी ।

3.3 इस योजना का आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकेगा ।

3.4 इस योजनान्तर्गत जन–सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकेगा ।

3.5 इस योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी जो राज्य की अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए लाभप्रद हैं ।

4.0 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य —

4.1 इस योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा , जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों / आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर भी सृजित हों ।

4.2 इस योजनानतर्गत सम्बन्धित जिले के केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय जन आंकाक्षाओं के अनुरूप जनोपयोगी कार्य करवाये जा सकेंगे ।

4.3 इस योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यो को स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके लिए राज्य सरकार की वार्षिक योजना में साधारणतया धनराशि या तो नहीं मिलती हो या अपर्याप्त राशि ही मिल पाती हो ।

4.4. इस योजना द्वारा केवल ऐसे कार्यो पर ही राशि व्यय की जा सकेगी, जिससे सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हो ।

4.5 इस योजनान्तर्गत पेयजल हेतु हैण्ड पम्प / ट्यूबवैल/ नलकूप सम्बन्धित कार्य , सडक निर्माण , राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण , सम्पर्क सडक, पुलिया / रपट निर्माण पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधायें, चिकित्सालय / डिस्पेंसरी भवन निर्माण , पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, पुस्तकालय भवन , सार्वजनिक शौचालय निर्माण आदि कार्य एवं जलग्रहण विकास के कार्य भी कराये जा सकेंगे । साथ ही जीवकोपार्जन से सम्बन्धित परियोजनाएं भी कियान्विति की जा सकेगी ।

5.0 योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :

5.1 किसी भी पंजीकृत संस्था / ट्रस्ट को स्वयं की परिसम्पत्तियां बनाने के लिए राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी ।

5.2 इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी :–

(अ) अनुदान एवं ऋण ।
(ब) वाणिज्यिक संगठन / निजि संस्था के लिए परिसम्पत्ति ।
(स) केवल वस्तु / सामान की खरीद ।
(द) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा ।
(य) व्यक्गित लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।
(र) धार्मिक पूजा स्थल ।

5.3 आवृतक व्यय ।

6. कार्यो की स्वीकृति एवं कियान्वयन :

6.1 मगरा क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृति व कियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) होगी ।

6.2 मगरा क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जिले को आवंटित बजट सीमा में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला मगरा क्षेत्र विकास समिति की बैठक में कार्यो का अनुमोदन कराया जाकर प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किये जायेंगे । इन प्रस्तावों का राज्य स्तर पर मगरा क्षेत्र विकास मण्डल द्वारा अनुमोदन कराया जावेगा । मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यो का कियान्वयन जिला कलक्टर्स द्वारा जारी स्वीकृति उपरान्त जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा किया जायेगा ।

6.3 विकास कार्यो की स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी की जा सकेगी ।

6.4 स्वीकृत कार्यो का कियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जावेगा । विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाये जा सकते हैं , परन्तु इसके लिए किसी प्रकार के प्रोरेटा चार्जेज एवं टेण्डर प्रीमियम देय नहीं होगा ।

6.5 जीवकोपार्जन से सम्बन्धित परियोजना का कियान्वयन सुप्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं से भी कराया जा सकेगा ।

7.0 धनराशि का अवमोचन :

राज्य स्तर से योजना मद की राशि प्रति वर्ष लेखानुदान / बजट पारित होने के बाद प्रत्येक जिले को वार्षिक आवंटन 50 प्रतिशत राशि उनको मगरा क्षेत्र में उपलब्ध गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का आवंटन राज्य की साक्षरता प्रतिशत में से मगरा क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत को घटाते हुये पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जायेगा ।

8.0 प्रबोधन व्यवस्था :

8.1 निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा ।

8.2 इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का प्रभावी कियान्वयन हेतु जिला परिषद द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित की जानेवाली वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रति माह निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास विभाग को माह समाप्ति के बाद 8 दिवस में भिजवानी होगी तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद 15 दिवस में भिजवानी होगी ।

8.3 योजना अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में कराये गए कार्यो के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो का भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे ।

9.0 कार्यो के तकमीने तैयार कराना एवं उनका कियान्वयन :

विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यो के तकमीने तैयार करवायें जावेंगे तथा उनका कियान्वयन करवाया जावेगा ।

10.0 पूर्णता प्रमाण पत्र :

निर्मित कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका –2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप तैयार करवाये जावेंगे ।

11.0 अभिलेख संधारण :

अभिलेख संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका –2004 के अनुरूप किया जावेगा ।

12. परिसम्पत्तियों का ब्यौरा :

योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पतियों के ब्यौरे का संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा ।

13.0 अंकेक्षण :

जिला स्तर पर योजना के लेखों का प्रतिवर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष की समांप्ति के तीन माह बाद विभाग को भिजवायी जावेगी ।

14. नोडल विभाग

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल एजेंसी होगी ।

(एम.के. खन्ना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. सचिव, महानहीम राज्यपाल, राज0 जयपुर ।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान , जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
4. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
5. निजी सचिव,राज्य मंत्री, ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
7. निंजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव,............................... ।
9. संभागीय आयुक्त ,अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर ।
10. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) / आयोजना विभाग ।
11. शासन उप सचिव (प्रशासन) / परि0 निदेशक एवं उप सचिव (समस्त) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
12. जिला कलक्टर, अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ,राजसमंद, एवं पाली ।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ,राजसमंद, एवं पाली
14. रक्षित पत्रावली ।

(ओंकार सिंह)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)

परिशिष्ठ–1

राज्य में सम्मिलित मगरा क्षेत्र का विवरण

जिला	पंचायत समिति	पूर्ण / आंशिक	गांवों की संख्या
राजसमंद	भीम	पूर्ण	109
	देवगढ	पूर्ण	131
	अमेट	पूर्ण	136
	कुम्भलगढ	पूर्ण	161
	राजसमंद	पूर्ण	130
	खमनोर	पूर्ण	132
अजमेर	जावाजा	पूर्ण	193
	मसूदा	पूर्ण	137
पाली	रायपुर	आंशिक	58
	मारवाड जंक्शन	आंशिक	41
भीलवाडा	आसिंद	आंशिक	65
	मांडल	आंशिक	73
	रायपुर	आंशिक	23
चित्तौडगढ	निम्बाहेडा	आंशिक	32
योग			1421

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास (अनुभाग – 6) विभाग

कमांक : एफ 13(8) ग्रावि / ग्रुप–6 / 07   जयपुर, दिनांक : 6 अगस्त, 07

:: परिपत्र ::

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना

मा0 अध्यक्ष, मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल की अध्यक्षता मे आयोजित मगरा क्षेंत्रीय विकास मण्डल की तृतीय बेठक दिनांक 15.5.07 में अरावली संस्था की अभिशंषा पर लिये गये निर्णयानुसार निम्नांकित 5 गावों को मगरा क्षेत्रीय विकास योजना में सम्मिलित किया जाता है:–

क.सं	गांव
पंचायत समिति आसीन्द	
1	जालरिया
पंचायत समिति मांडल-	
1	दहीमथा
पंचायत समिति रायपुर	
1	भींटा
2	टुंगच
3	बागड

6/8/07

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव(एस.ए.पी.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजि सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिव (विकास) / (समन्वय)।
6 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
7. निजि सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
8. निजि सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।
9. .जिला कलक्टर, भीलवाडा राजस्थान।
10.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा, राजस्थान।
11.रक्षित पत्रावली ।

6/8/07

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव(एस.ए.पी.)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास (अनुभाग–6)विभाग

क्रमांक एफ.13 (8)/ग्रावि/ग्रुप–6/2005 जयपुर, दिनांक 16. जनवरी 2008

:: परिपत्र ::

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम सम्मिलित करने हेतु जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 07 में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि योजना में सम्मिलित किये गये गांवों को ग्राम ना पढकर ग्राम पंचायत पढा जाये ।

अतः इन ग्राम पंचायतों में सम्मिलित समस्त ग्राम मगरा क्षेत्रीय विकास योजना में सम्मिलित होगें :–

क्र.सं.	ग्राम पंचायत
पंचायत समिति आसीन्द	
1	जालरिया
पंचायत समिति माण्डल	
1.	दहीमथा
पंचायत समिति रायपुर	
1	भींटा
2	टुंगच
3	बागड

16/1/08

(चिम्मन लाल वर्मा)
परि0 निदेशक एवं
पदेन उप सचिव(एस.ए.पी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव (विकास) / (समन्वय)
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
9. जिला कलक्टर, भीलवाडा
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
11. रक्षित पत्रावली ।

16/1/08

परि0 निदेशक एवं
पदेन उप सचिव(एस.ए.पी)